

## HARYANA GOVERNMENT

## TRANSPORT DEPARTMENT

## Notification

The 1st March, 2013

**No. 12/92/2012-6T(1).**— In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and with reference to Haryana Government, Transport Department, Notification No. 12/92/2012-6T (1) dated the 10th January, 2013, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), for rule 203, the following rule shall be substituted, namely:—

**“203. Application for claims for compensation. [Sections 166 and 176(b)]-** (1) Every application for claims of compensation to be made under section 166 shall be in Form No. 48 and shall be accompanied by spare copies equal to the number of respondents cited in the claim application.

(2) There shall be appended to each application,—

- (a) all the documents on which the applicant relies in context of his claim, entered in a properly prepared list of documents:

Provided that the Claims Tribunal may not allow the applicant to rely in support of his claim, on any document not filed with the application, unless it is satisfied that for good or sufficient cause, he was prevented from filing such document earlier;

- (b) proof of identity of the applicant (s) to the satisfaction of the Claims Tribunal, unless exempted from doing so for reasons to be recorded in writing by it;
- (c) passport size photograph(s) of the applicant(s) duly attested by an Advocate or Gazetted Officer;
- (d) reports obtained from investigating police officer and registering authority and if no such report(s) have been obtained, reasons thereof;
- (e) in case of injuries, medical certificate of injuries, or the effect thereof and in case of death, copy of post mortem report, if any.

(3) The Claims Tribunal may also require the applicant to furnish the following information to satisfy itself that spurious or a collusive claim has not been preferred, namely:—

- (a) full particulars of all earlier accidents in which the applicant or the person deceased, as the case may be, has been involved;
- (b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, name and particulars of the victim, and of the person who paid the damages; and
- (c) connection of persons mentioned in clause (b), if any, with the applicant.

(4) Any application which is found defective on scrutiny may be returned by the Claims Tribunal for being re-submitted after removing the defects within a specified period not exceeding two weeks.

(5) Every application for compensation shall be entered into a separate register”.

3. In the said rules, after rule 203, the following rules shall be inserted, namely:—

**“203-A. Assistance by investigating police officer to Claims Tribunal in motor accident cases.**

**[Section 176(b)].-** (1) The investigating police officer shall assist the Claims Tribunal by using modern technology of accident investigation including the following, as expeditiously as possible to—



- (a) inspect the site of accident, get the scene of accident photographed from all angles as to clearly depict and prepare a site plan, drawn to scale, as to indicate the lay-out and width, etc. of the road(s) or place, as the case may be, the position of vehicle(s) or person(s) involved, collect such other facts as may be relevant so as to preserve the evidence in this regard, and conduct spot enquiry by examining the eye witnesses;
- (b) gather full particulars and documents,—
  - (i) date, time and place of the accident;
  - (ii) particulars of the deceased or persons injured in the accident;
  - (iii) name and address of the driver of the offending vehicle;
  - (iv) copy of driving licence of the driver of the offending vehicle;
  - (v) name and address of the owner of the offending vehicle;
  - (vi) copy of certificate of registration of the offending vehicle;
  - (vii) copy of insurance policy/insurance certificate of the offending vehicle;
  - (viii) copy of certificate of fitness and the permit in the case of a transport vehicle;
  - (ix) report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, First Information Report, Photographs of the accident site, site plan, seizure memos;
  - (x) names and addresses of the witnesses of the accident;
  - (xi) circumstances of the occurrence of the accident;
  - (xii) in case of death,—
    - (i) copy of proof of age of the deceased;
    - (ii) death certificate;
    - (iii) post mortem report;
    - (iv) proof of income of the deceased;
    - (v) details alongwith proof of the dependents, i.e. their age, occupation and marital status;
    - (vi) expenditure incurred on treatment along with medical bills;
  - (xiii) in case of an injury,—
    - (i) Medico Legal Certificate (MLC);
    - (ii) copy of proof of age of the injured;
    - (iii) proof of income of the injured;
    - (iv) nature of injuries suffered;
    - (v) treatment taken by the injured including the medical bills and discharge summary;
    - (vi) disability certificate, if issued by a Government Hospital;
    - (vii) expenditure incurred on treatment, conveyance, special diet, attendant etc;
    - (viii) proof of absence from work [where loss of income on account of injury is being claimed] such as certificate from the employer and extracts from the attendance register or log record or like records;



- (c) verify the genuineness of the documents mentioned in clause (b) by obtaining confirmation in writing from the office or authority or person purporting to have issued the same or by such further investigation or verification as may be necessary;
- (d) collect and verify the documents mentioned in clause (b), complete the investigation of the case and file the Accident Information Report in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 before the Claims Tribunal within thirty days of the accident, if the information is to be collected within State of Haryana accompanied by requisite documents mentioned in sub rule (b) and the confirmation report mentioned in sub rule (c). If the information is to be collected and verified from outside the State of Haryana the investigating police officer shall give a notice to the claimant for supplying the information within a period of fifteen days along with the necessary documents, duly signed by the claimant. If the claimant fails to supply the information then the intimation in this regard shall be given by the investigating police officer to the Claims Tribunal. Copy of the Accident Information Report shall simultaneously be furnished to the Insurance Company, victims/claimants of the accident and owner/driver of the offending vehicle. Where the Investigating Officer is unable to complete the investigation of the case within thirty days for reasons beyond his control, such as cases of hit and run accidents, cases where the parties reside outside the jurisdiction of the Court, where the driving licence is issued outside the jurisdiction of the Court, or where the victim has suffered grievous injuries and is undergoing treatment, the investigating police officer shall approach the Claims Tribunal for extension of time whereupon the Claims Tribunal shall suitably extend the time in the facts of each case;
- (e) submit report regarding an accident to the Claims Tribunal in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, by not later than thirty days of the receipt of order in Form HR No. 48A, accompanied by requisite documents;
- (f) furnish to the applicant information and particulars about the accident in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, within thirty days, on receiving the application in Form HR.No. 48B by the person who wishes to make an application for compensation and who is involved in an accident, or his next of kin, or the legal representative of the deceased, or the insurance company, as the case may be:

Provided that such information shall be given to the insurance company on payment of a fees of rupees ten only per page.

(2) The duties enumerated in sub-rule (1) shall be construed as if they are included in Section 47 of the Haryana Police Act, 2007 (28 of 2007) and any breach thereof shall entail consequences envisaged in that law".

**203-B. Duties of the registering authority. [Section 176(b)].-** It shall be the duty of the concerned registering authority to—

- (a) submit a detailed report in Form HR.No. 48C to the Claims Tribunal regarding a motor vehicle involved in an accident or licence of the driver thereof within fifteen days of the receipt of order in Form HR.No. 48D;
- (b) furnish within fifteen days, the requisite information in Form HR.No. 48C on receiving the application in Form HR.No. 48E, by the person who wishes to make an application for compensation or who is involved in an accident arising out of use or his next of kin, or to the legal representative of the deceased or to the insurance company, as the case may be:

Provided that information shall be given to the insurance company on payment of rupees ten only per page.

**203-C. Assistance by the insurance company. [Section 176(b)].-** The Divisional Manager of the insurance company shall assist the Claims Tribunal as expeditiously as possible, and,—

- (a) move an application in Form HR.No. 48B before the investigating police officer with prescribed fees and gather full information about the accident, at the earliest, after receiving information about it, or on receipt of notice from the Claims Tribunals under rule 206;



(b) ascertain and verify facts about insurance of motor vehicle(s) involved in the accident and confirm the same to the Claims Tribunal within thirty days of receiving notice of the claim case;

(c) move application before the concerned registering authority in Form HR.No. 48E and gather information about the motor vehicle(s) involved and the driving licence(s) held by the driver(s) thereof as per details mentioned in Form HR.No. 48C;

(d) deposit with the written statement in the Claims Tribunal, the amount equivalent to the compensation, awardable on the principle of no fault liability under section 140 of the Act in such cases where the information received in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Form HR. No. 48C confirms death or permanent disability to have been caused as a result of the use of the motor vehicle covered by the insurance certificate/policy issued by it.

**203-D. Presumption about reports. [Section 176(b)].-** The contents of reports submitted to the Claims Tribunal in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Form HR.No. 48C by investigating police officer and concerned registering authority respectively, and confirmation under clause (b) of rule 203-C by the insurance company shall be presumed to be correct, and shall be read in evidence without formal proof, till proved to the contrary.

**203-E. Police report under Sub-section (6) of Section 158 of the Act and action thereon [Section 176(b)].-** (1) The police report referred to in sub-section (6) of section 158 shall be in Form HR. No.54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) On receipt of report mentioned in sub-rule (1), accompanied by verification reports of driving licence, registration certificate of motor vehicle, insurance, permit etc., the Claims Tribunal shall go through the same and may call for such further information or material as considered necessary for proper and effective action in accordance with sub-section (4) of section 166 of the Act.

(3) The Claims Tribunal after examination of the report, further information /material, if called for, shall register the claim case thereon and, then, issue notice for appearance to all parties concerned, which would include the victim(s) of the accident, or his legal representative(s), as the case may be, driver, owner and insurer of the vehicle(s) involved, in Form HR.No. 48F.

(4) On receipt of notice, the parties mentioned in the forgoing provision would be required to appear and declare if any claim case had either been preferred, or was being preferred in respect of the same cause of action, and if so, the police report treated as claim case would be tagged to such claim case preferred independently by the parties.

(5) If the person(s) injured, or legal representative(s) of the person(s) deceased do not appear in response to the notice aforementioned in the manner indicated above, the Claims Tribunal may presume that the said parties were not interested in pursuing the claim for any compensation in such proceedings, and on such presumption it shall close the case.

(6) Unless the police report treated as claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the person(s) injured or legal representative(s) of the person(s) deceased, as the case may be, and who may have appeared in response to the notice, to submit statement of facts regarding compensation, if any, claimed by them, which statement of facts shall be along the lines required to be furnished in application in Form HR.No. 48.

(7) If statement of facts about compensation claimed and basis thereof are furnished by the parties in the manner indicated in sub-rule(6), the case shall be further proceeded with in the same manner as required to deal with applications moved by the parties for compensation directly before the Claims Tribunal.

(8) If after statement of facts about compensation claimed has been furnished by the party, which subsequently commits default in appearance, the provisions of Order IX of the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908) would apply:



Provided that in case accident in question involves more than one vehicle and persons connected to all such vehicles stake claim for compensation, the police report treated as claim case shall be presumed to be a claim case preferred by each of them and absence by any one or more of such parties shall not prejudice or affect the claim of the party which continues to appear."

4. In the said rules, for rule 206, the following rules shall be substituted, namely:—

**"206. Notice to parties involved. [Sections 169 and 176(b)].**— If the application for claim is not dismissed under rule 205, the Claims Tribunal shall send to the person against whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as 'opposite party'), a copy of the application along with all the documents filed by applicant under rule 203 together with a notice in Form HR.No. 48G of the date on which it will hear the application, and may call them upon to file on that date a written statement as per rule 207 in answer to the application:

Provided that if documents filed by the applicant are voluminous and insistence on providing copies thereof would be unnecessarily expensive or cumbersome, the Claims Tribunal may dispense with the requirement to send copies thereof to the opposite parties".

5. In the said rules, for rule 207, the following rule shall be substituted, namely:—

**"207. Appearance and examination of the parties. [Sections 169 and 176(b)].**—(1) The opposite party shall at or before the first hearing, or within such further time as the Claims Tribunal may allow, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.

(2) The opposite party shall file with his written statement, all the documents in support of all facts on which he relies in context of his defence of the application, duly entered in a properly prepared list of documents and shall give to the applicant copies of the written statement, documents provided that the Claims Tribunal may not allow the opposite party to rely in support of his defence on any document not filed along with the written statement unless it is satisfied that, for good or sufficient cause, he was prevented from filing such document earlier.

(3) If the opposite party contests the claim, the Claims Tribunal may and if no written statement has been filed, it shall, proceed to examine him upon the claim and shall reduce the substance of the examination to writing.

(4) The Claims Tribunal may also require the opposite parties to furnish the following information:—

(a) full particulars of all earlier accidents in which such party may have been involved, and in which the claims have been awarded at least in part;

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, the name(s) and address(es) of the victims and of the persons who paid the damages; and

(c) relation of persons mentioned in clause (b), if any, with the opposite party".

6. In the said rules, for rule 208, the following rule shall be substituted, namely:—

**"208. Summoning of witness. [Sections 169 and 176(b)].**— If an application is presented by any party to the proceeding for the summoning of witnesses, the Claims Tribunal shall, on payment of the expenses involved, if any, issue summons for the appearance of such witness unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case:

Provided that if in the opinion of the Claims Tribunals, the party is financially poor, it may not insist on the payment of the expenses involved and the same shall be borne by the Government:

Provided further that in case where the party succeeds in whole or in part, the expenses so incurred by the Government shall be directed to be paid to the Government by the opposite party".



7. In the said rules, for rule 210, the following rule shall be substituted, namely:—

- "210. Local inspection. [Sections 169 and 176(b)].—** (1) The Claims Tribunal may, at any time during the course of any proceedings before it, visit the site at which accident occurred for the purpose of making a local inspection or examination of any person likely to be able to give information relevant to the enquiry.
- (2) Any party to a proceeding or the representative of any such party may accompany the Claims Tribunal for local inspection.
- (3) The Claims Tribunal, after making a local inspection, shall note briefly in a memorandum the facts observed and such memorandum shall form part of the record of the proceedings.
- (4) The memorandum referred to in sub-rule (3) may be shown to any party to the proceedings who desires to see it and a copy thereof may on application be supplied to any such party, at the rate of rupees two per page.
- (5) The Claims Tribunal may, if any journey is undertaken for the purpose specified in this rule at the instance of a party, require the party, to deposit beforehand an amount equivalent to the actual expenses likely to be incurred by it and its staff for the purpose, and draw only the amount so deposited by the parties to meet all the incidental expenditure in connection with such journey."

8. In the said rules, after rule 213, the following rule shall be inserted, namely:—

- "213-A. Obtaining of supplementary information and documents.**— The Claims Tribunal shall obtain whatever supplementary information and documents, which may be found necessary from the police, medical, insurance and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim whether the parties who were given notice appear or not on the appointed date."

9. In the said rules, after rule 215, the following rule shall be inserted, namely:—

- "215-A. Power to direct medical examination. [Sections 169 and 176(b)].**— The Claims Tribunal may, if it considers necessary, direct, in Form HR.No. 48H any medical officer or any board of medical officers in a government or municipal hospital to examine the injured and issue certificate indicating the degree and extent of the disability, if any, suffered as a result of the accident and it shall be the duty of such medical officer or board to submit the report within fifteen days of receipt of direction."

10. In the said rules, for rule 217, the following rule shall be substituted, namely:—

- "217. Determination of issues. [Sections 169 and 176(b)].—**(1) After framing the issues the Claims Tribunal shall proceed to decide them after allowing both parties to cross examine each other and the deponents mentioned in the application and the written statement and in doing so, it shall follow provision of Order XIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

- (2) The Claims Tribunal may, if it appears to it to be necessary for just decision of the case, allow the parties to adduce such further evidence as each of them may desire to produce:

Provided that no such further opportunity shall be permitted unless it is shown that such further evidence could not be adduced earlier, despite exercise of due diligence by, or that such evidence was not within the knowledge of the party relying on it."

11. In the said rules, for rule 219, the following rule shall be substituted, namely:—

- "219. Judgment and award of compensation. [Sections 169 and 176(b)].—** (1) The Claims Tribunal in passing order, shall record concisely in a judgment the findings on each of the issues, framed and the reasons for such findings and make an award specifying the amount of compensation to be paid by the insurer and also the person to whom compensation shall be paid.

- (2) Where compensation is awarded to two or more persons, the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.



(3) The procedure of adjudicating the liability and award of compensation may be set apart from the procedure of disbursement of compensation to the legal heirs in a case of death, and where the Claims Tribunal feels that the actual payment to the claimant is likely to take some time because of the identification and determination of legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with it, and, then, proceed with the identification of the legal heirs for disbursing payment of compensation to each of the legal heirs equitably.

(4) The Claims Tribunal shall, obtain a receipt from the claimant in duplicate, one copy to be issued to the person who makes the payment and the other to be retained on the record while handing over the payment."

12. In the said rules, after rule 219, the following rule shall be inserted, namely:—

**"219-A. Securing the interest of claimants. [Section 176(b)].-** (1) Where any lump-sum amount deposited with the Claims Tribunal is payable to a person under legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of such person during this disability in such manner as the Claims Tribunal may direct to be paid to any dependent of the injured or heirs of the deceased or to any other person whom the Claims Tribunal thinks best fitted to provide for the welfare of the injured or the heir of the deceased.

(2) Where on application made to the Claims Tribunal in this behalf or otherwise, the Claims Tribunal is satisfied that on account of neglect of the children on the part of the parents, or on account of the variation of the circumstances of any dependent, or for any other sufficient cause, an order of the Claims Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Claims Tribunal may make such further orders for the variation of the former order as it thinks just in the circumstances of the case.

(3) The Claims Tribunal shall, in the case of minor, order that amount of compensation awarded to such minor be invested in fixed deposits till such minor attains majority. The expenses incurred by the guardian or the next friend may be allowed to be withdrawn by such guardian or the next friend from such deposits before it is deposited.

(4) The Claims Tribunal shall, in the case of illiterate claimants, order that the amount of compensation awarded be invested in fixed deposits for a minimum period of three years, but if any amount is required for effecting purchase of any moveable or immoveable property for improving the income of the claimant, the Claims Tribunal may consider such a request after being satisfied that the amount would be actually spent for the purpose and the demand is not a ruse to withdraw money.

(5) The Claims Tribunal shall, in the case of semi-literate person resort to the procedure for the deposit of award amounts set out in sub-rule(4) unless it is satisfied, for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount is required for the expansion of any existing business or for the purchase of some property as specified and mentioned in sub-rule (4) in which case the Claims Tribunal shall ensure that the amount is invested for the purpose for which it is prayed for and paid.

(6) The Claims Tribunal may in the case of literate persons also resort to the procedure for deposit of awarded amount specified in sub-rule (4) and (5) if having regard to the age, fiscal background and state of society to which the claimant belongs and such other consideration, the Claims Tribunal in the larger interest of the claimant and with a view to ensuring the safety of the compensation awarded, thinks it necessary to order.

(7) The Claims Tribunal, may in personal injury cases, if further treatment is necessary, on being satisfied, which shall be recorded in writing, permit the withdrawal of such amount as is necessary for the expenses of such treatment.



- (8) The Claims Tribunal shall, in the matter of investment of money, have regard to a maximum return by ways of periodical income to the claimant and make it deposited with public sector undertakings of the State or Central Government which offers higher rate of interest.
- (9) The Claims Tribunal shall, in investing money, direct that the interest on the deposits be paid directly to the claimants or the guardian of the minor claimants by the institutions holding the deposits under intimation to the Claims Tribunal."

13. In the said rules, for rule 221, the following rule shall be substituted, namely:—

- "221. Form and manner of appeals against the award of the Claims Tribunal. [Sections 173 and 176(b)].-** (1) Every appeal against the judgment of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the applicant or the advocate duly empowered by him in this behalf, and presented to the High Court and shall be accompanied by a copy of the judgment.
- (2) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads, the grounds of objections to the judgment appealed from without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively.
  - (3) Save as provided in sub-rules (1) and (2), the provisions of Order XLI and XXI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall mutatis mutandis apply to appeals preferred to High Court under section 173 of the Act".

14. In the said rules, for rule 222, the following rule shall be substituted, namely:—

- "222. Fees. [Section 176(b)].—** (1) No court fee stamps shall be leviable on an application under Section 166 for payment of compensation.
- (2) The amount of the court fee to be charged for inspecting the files shall be twenty rupees for first hour and ten rupees for every subsequent hour for each case.
  - (3) The carbon copies of the evidence shall be given to the parties concerned, if asked for on payment of court fee stamps of rupees two per page and application for obtaining such copies shall bear court fee stamp of rupees ten.
  - (4) An amount of rupees two per page shall be charged in the form of court fee stamps for obtaining an attested copy of the award on final order or an intermediate order of any documents filed with the Claims Tribunal".

15. In the said rules, after rule 223, the following rule shall be inserted, namely:—

- "223-A. Custody and preservation of records, Registers and Certified copies. [Section 176].-** (1) The necessary documents and records relating to the cases shall be preserved in the record room for a period of six years of the satisfaction of the award, if any granted, or for a period of twelve years after the judgment and award become final, whichever is earlier.
- (2) The Claims Tribunal shall maintain in addition to all registers required to be maintained by a court of Additional District Judge in Haryana, the following registers:-
    - (i) Register for applications for interim award on principle of no fault liability;
    - (ii) Register for deposit of payments in the Tribunal through cheques, etc;
  - (3) Claim petitions on the ground of death, permanent disability, injury and damage to property shall be entered in a separate register.
  - (4) The rules relating to the issue of certified copy as in force in Haryana for the courts subordinate to the High Court shall mutatis mutandis apply in the case of the Claims Tribunal."

16. In the said rules, for Form 48, the following form shall be substituted, namely:—



## "FORM HR No. 48

(See rule 203)

## Form of application for compensation to the Motor Accident Claims Tribunal

Photograph of  
claimant/s

To

The Motor Accidents Claims Tribunal,  
\_\_\_\_\_

Sir,

I, \_\_\_\_\_, son/daughter/wife/widow of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ having been injured in motor vehicle accident hereby apply for the grant of compensation for the injury sustained. Necessary particulars in respect of the injury, vehicle, etc. are given below:—

I/We \_\_\_\_\_ father/mother/son(s)/daughter(s)/widow of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ hereby apply as legal representative(s) for the grant of compensation on account of death of Shri/Shrimari/Kumari \_\_\_\_\_/injury sustained by Shri/Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_ who died/was injured in a motor vehicle accident. Necessary particulars in respect of the deceased/injured and the vehicles, etc., are given below:—

1. Name and father's name of the person injured/dead. (Husband's name in the case of married woman and widow). \_\_\_\_\_
2. Full address of the person injured/dead. \_\_\_\_\_
3. Age of the person injured/dead. \_\_\_\_\_
4. Occupation of the person injured/dead. \_\_\_\_\_
5. Name and address of the employer of the deceased, if any. \_\_\_\_\_
6. Monthly income of the person injured/dead. \_\_\_\_\_
7. Does the person in respect of whom compensation is claimed pay income tax? If so, state the amount of the income tax (to be supported by documentary evidence). \_\_\_\_\_
8. Place, date and time of the accident. \_\_\_\_\_
9. Name and address of police station in whose jurisdiction the accident took place or was registered. \_\_\_\_\_
10. Was the person in respect of whom compensation is claimed traveling by the motor vehicle involved in the accident? If so, give the name and place of starting of journey and destination. \_\_\_\_\_
11. Nature of injuries sustained and disablement, if any, caused. \_\_\_\_\_
12. Name and address of the Medical Officer/Practitioner, if any, who attended on the injured/dead. \_\_\_\_\_
13. Period of treatment and expenditure incurred thereon, if any, (to be supported by documentary evidence). \_\_\_\_\_



14. Registration No. and the type of the motor vehicle involved in accident \_\_\_\_\_
15. Name and address of the insurer of the motor vehicle \_\_\_\_\_
16. Name and address of the owner of the motor vehicle \_\_\_\_\_
17. Has any claim been lodged with the owner/insurer? If so, with what result \_\_\_\_\_
18. Name and address of the applicant \_\_\_\_\_
19. Relationship with the deceased/injured \_\_\_\_\_
20. Title to the property of the deceased/injured \_\_\_\_\_
21. Amount of compensation claimed and basis thereof \_\_\_\_\_
22. Whether report in prescribed form has been obtained from the police and registering authorities? (if so, to be annexed) \_\_\_\_\_
23. Whether documents mentioned in rule 203 are being annexed duly indexed (give details) \_\_\_\_\_
24. Any other information that may be necessary/helpful in the disposal of the claim. \_\_\_\_\_
25. Reasons or grounds for the late submission of the claim application on which condonation of delay is claimed \_\_\_\_\_
26. Cause of accident with brief description \_\_\_\_\_

Signature or thumb-impression of the applicant(s).

#### VERIFICATION

Verified at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ that the contents of the above application are true and correct to my/our knowledge and belief.

Signature or thumb-impression of the applicant (s).

Notes:— (1) Applicant shall furnish spare copies of the application equal to the number of respondents cited in the claim application for sending the same with notices to the respondents.

(2) The application is to be filed within six months of the occurrence of the accident and reasons be given for late submission of the application.

(3) The applicants may send their claim/applications through registered A.D. to the Motor Accidents Claims Tribunal".

17. In the said rules, after Form 48, the following Forms shall be added at the end, namely:—



"FORM HR No. 48A

(See rule 203-A)

**Order to Investigating Police Officer**

BEFORE THE MOTOR ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL \_\_\_\_\_ HARYANA

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

Subject: F.I.R. No. \_\_\_\_\_

To

Station House Officer,

P.S. \_\_\_\_\_

**ORDER**

Whereas, the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with the accident which is stated to be subject matter of investigation by you through FIR particulars captioned above;

And, wherea, the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988 and to this Tribunal under the provisions of sub-section (6) of section 158 of the said Act read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 203-A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, document in the nature of-

- (1) Identification marks and other particulars of the vehicle which caused the accident;
- (2) Name and address of the person who was driving/using the same at the time of accident;
- (3) Name and address of the person who was injured, or description of property damage;
- (4) Copy of FIR;
- (5) Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving licence, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc.;
- (6) Any other relevant document seized.

Now, therefore, you are hereby directed to send to this Tribunal information in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, with clear legible photocopies of all the aforesaid documents duly attested under your personal signatures and bearing your official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and Seal, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT



## FORM HR No. 48B

(See rule 203-A and 203-C)

## Application to Investigating Police Officer

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

Subject: F.I.R. No. \_\_\_\_\_

To

Station House Officer,

P.S. \_\_\_\_\_

Sir,

Whereas, the applicant is a party, being the claimant/insurance company, in the claim petition above mentioned seeking payment of compensation in connection with the accident which is stated to be subject matter of Investigation through FIR particulars captioned above;

And, whereas, the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of Section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 203-A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, documents in the nature of—

- (1) Identification marks and other particulars of the vehicle which caused the accident;
- (2) Name and address of the person who was driving/using the same at the time of accident;
- (3) Name and address of the person who was injured, or description of property damage;
- (4) Copy of FIR;
- (5) Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving license, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc.;
- (6) Any other relevant document seized.

The under-signed, therefore, requests that the requisite information in Form 54 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, may kindly be furnished to him within fifteen days of the receipt of this communication.

Yours faithfully

( )  
full name and address.

Dated:



## FORM HR No. 48C

(See rule 203-B, 203-C and 203-D)

## Report of the Registering Authority

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

To

Motor Accidents Claims Tribunal,  
\_\_\_\_\_

Sir,

This is with reference to the order/application dated \_\_\_\_\_ in the above mentioned case. The requisite information is given below:—

1. Particulars of the vehicle:
  - (a) Registration No: \_\_\_\_\_
  - (b) Type of vehicle: \_\_\_\_\_
  - (c) Make and model: \_\_\_\_\_
  - (d) Engine No: \_\_\_\_\_
  - (e) Chassis No: \_\_\_\_\_
  - (f) Full name and address of the registered owner of the vehicle: \_\_\_\_\_
2. Particulars of driving licence:
  - (a) Driving License No. and date of issue/expiry: \_\_\_\_\_
  - (b) Name and address of license holder: \_\_\_\_\_
  - (c) Particulars of issuing Authority: \_\_\_\_\_
  - (d) Badge No. in case of public service vehicle: \_\_\_\_\_
  - (e) Detailed report if the particulars mentioned are found not genuine: \_\_\_\_\_
3. Particulars of route permit:
  - (a) Permit No. and date of expiry: \_\_\_\_\_
  - (b) Name and address of permit holder: \_\_\_\_\_
  - (c) Type of permit: \_\_\_\_\_

(Registering Authority)  
\_\_\_\_\_

Verified that the contents of above report are correct as per records of this office.

(Registering Authority)  
\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



## FORM HR No. 48D

(See rule 203-B)

## Order to Registering Authority

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL \_\_\_\_\_ HARYANA.

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

Subject: (i) Verification of Registration Certificate of Vehicle No \_\_\_\_\_

Verification of Driving Licence No. \_\_\_\_\_

in respect of \_\_\_\_\_ valid up to \_\_\_\_\_ issued by

Licensing Authority \_\_\_\_\_

To,

Registering Authority  
\_\_\_\_\_

## ORDER

Whereas, the claim petition mentioned above seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with an accident allegedly involving motor vehicle, particulars of which are captioned above;

And, whereas, (1) the vehicle is stated to have been registered by office under your control, (2) the driving licence/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control;

And, whereas, the records relating to the said registration/driving licence/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

And, whereas, requisite details relating to the documents aforesaid are required by this Tribunal for the purposes of inquiry under the provisions of section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988 and which information you are bound to furnish in terms of Rule 149 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with Rule 203-B of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993.

Now, therefore, you are hereby directed to furnish to this Tribunal full particulars regarding the registration certificate/driving licence/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested by an authorized official and bearing official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and seal, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT



**FORM HR No. 48E**

(See rule 203-B, 203-C)

**Application to Registering Authority**

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

To

The Registering Authority,  
\_\_\_\_\_

Subject: (1) Vehicle No. \_\_\_\_\_

(2) Permit No. \_\_\_\_\_

(3) Driving Licence No. \_\_\_\_\_

In respect of \_\_\_\_\_

Whereas, the undersigned has preferred/is a party in, the claim petition mentioned above seeking payment of compensation in connection with an accident allegedly involving Motor Vehicle, particulars of which are captioned above;

And, whereas (1) the vehicle aforesaid is stated to have been registered by office under your control, (2) the driving licence/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control (Strike out whichever is not applicable).

And, whereas the records relating to the said registration/driving licence/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

And, whereas requisite details relating to the documents aforesaid are required by this Tribunal for the purposes of Inquiry under the provisions of Section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988 and which information you are bound to furnish in terms of Rule 149 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 read with Rule 203-B of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993.

Now, therefore, the undersigned, requests that full particulars regarding the registration certificate/ driving licence /permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official seal may be furnished within fifteen days of the receipt of this application.

(Applicant)

(Full name, particulars and address to be given)



## FORM HR No. 48F

(See rule 203-E)

## Notice for appearance to the parties.

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL \_\_\_\_\_ HARYANA.

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

## NOTICE

In RE: Police Report under Section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 treated as claim case under Section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988.

Reference FIR No. \_\_\_\_\_ of P.S. \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_

(Name, Description and Place of residence)

Whereas, a report under Section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 has been received from Station House Officer of Police Station mentioned above with reference to FIR registered by him as per particulars given above regarding an accident involving use of a motor vehicle;

AND, WHEREAS, the report aforementioned has been treated by this Claims Tribunal as a claim case in accordance with the provisions of Section 166 (4) of the Motor Vehicles Act, 1988, in which it appears necessary to call you upon to appear before the under signed for further proceedings in the matter at \_\_\_\_\_ a.m./p.m. on \_\_\_\_\_ (date).

Now, therefore, you are hereby given notice to appear before this Claims Tribunal in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time.

AND, as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim a case, you would be required to file on or before that date an undertaking disclosing full particulars of a claim case which may have either been preferred or being preferred in respect of the same cause of action by or against you.

Take notice that in default of your appearance on the date and time aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT



## FORM HR No. 48G

(See rule 206)

## Notice to opposite parties.

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL \_\_\_\_\_ HARYANA

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

## NOTICE

To

(Name, Description and Place of residence)

Whereas, \_\_\_\_\_ has instituted a Motor Accident Claim Case impleading you as Respondent \_\_\_\_\_ (Copies of the application alongwith documents filed enclosed), which case has been directed to be listed before this Tribunal for hearing at \_\_\_\_\_ a.m./p.m. on \_\_\_\_\_ (date).

Now, therefore, you are hereby given notice to appear before this Tribunal in person by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time.

And, as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case you may file on or before that date written statement dealing with the claim raised in the application, alongwith all the documents in support of all facts on which you rely in the context of your defence of the application, duly entered in a properly prepared list of documents, where after it shall not be permissible to rely on any further documents except as provided in Rule 207 of Haryana Motor Vehicles Rules, 1993.

Take notice that in default of your appearance on the date aforementioned the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT



**FORM HR No. 48H**

(See rule 215-A)

**Direction for Medical Examination**

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL \_\_\_\_\_ HARYANA

Case No: \_\_\_\_\_

TITLE: \_\_\_\_\_ Vs \_\_\_\_\_

Photograph  
of claimant

To,

\_\_\_\_\_

**ORDER**

Whereas, the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with an accident involving use of motor vehicle, and the claimant \_\_\_\_\_ S/o,D/o, W/o \_\_\_\_\_ Aged \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_ whose photograph bearing his specimen signature /thumb impression is affixed above, is alleged to have suffered injuries as a result of the said accident, which are stated to have been recorded in Medico Legal Certificate No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (name of Hospital);

And, whereas, for the purpose of inquiry into the claim petition, this claim Tribunal considers it necessary to ascertain the degree and extent of disability, if any suffered as a result of the said accident by the said claimant;

Now, therefore, in exercise of powers vesting in this Claims Tribunal, in terms of rule of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, the undersigned directs you to get the said claimant examined by a Medical Officer/Board of Medical Officers in your Hospital and submit report on above aspects to this Tribunal within 15 days of the receipt of this direction.

Given under my name and seal of this Tribunal, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT."

HARDEEP KUMAR,

Principal Secretary to Government, Haryana,  
Transport Department.



## हरियाणा सरकार

## परिवहन विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2013

संख्या 12/92/2012-6परि० (1).— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 12/92/2012-6परि०(1), दिनांक 10 जनवरी, 2013 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 203 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"203. प्रतिकर के लिए दावों हेतु आवेदन। [धारा 166 तथा 176ख].—(1) धारा 166 के अधीन किए जाने वाले प्रतिकर के दावों के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप संख्या 48 में किया जाएगा तथा दावा आवेदन में उद्धृत प्रतिवादियों की संख्या के बराबर अतिरिक्त प्रतियां संलग्न की जाएंगी।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा,

(क) सभी दस्तावेज जिन पर आवेदक दस्तावेजों की उचित रूप से तैयार सूची में दर्ज उसके दावे के संदर्भ में विश्वास रखता है;

परन्तु दावा अधिकरण तब तक आवेदन के साथ दायर न किए गए किसी दस्तावेज पर उसके दावे के समर्थन में विश्वास रखने के लिए आवेदक को अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक यह संतुष्टि नहीं हो जाती है कि उचित या पर्याप्त कारण से उसे पहले ऐसे दस्तावेज दायर करने से रोका गया था ;

(ख) दावा अधिकरण की संतुष्टि के लिए आवेदक(आवेदकों) की पहचान के सबूत जब तक उस द्वारा अभिलिखित कारणों से ऐसा करने के लिए छूट प्राप्त नहीं है;

(ग) अधिवक्ता या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित आवेदक(आवेदकों) के पासपोर्ट आकार के फोटो;

(घ) अन्वेषण पुलिस अधिकारी तथा रजिस्ट्री प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट तथा यदि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है, तो उसके कारण;

(ङ) चोट की दशा में, चोट या उसके प्रभाव का चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा मृत्यु की दशा में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रति।

(3) दावा अधिकरण स्वयं की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित सूचना देने हेतु आवेदक से अपेक्षा भी कर सकता है कि जाली या कपटपूर्ण दावा पेश नहीं किया गया है, अर्थात् :-

(क) सभी पूर्व दुर्घटनाओं के सम्पूर्ण ब्यौरे जिसमें आवेदक या मृतक व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, शामिल है;

(ख) ऐसी पूर्व दुर्घटनाओं में, भुगतान की गई प्रतिकर की राशि पीड़ित तथा उस व्यक्ति का नाम तथा ब्यौरे जिसे हानि का भुगतान किया गया है; तथा

(ग) आवेदक के साथ खंड (ख) में वर्णित व्यक्तियों के सम्बन्ध, यदि कोई हो।

(4) कोई आवेदन जो संवीक्षा पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो दावा अधिकरण द्वारा दो सप्ताह से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जा सकता है।

(5) प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन पृथक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा"



3. उक्त नियमों में, नियम 203 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"203 क. मोटर दुर्घटना मामलों में दावा अधिकरण के अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा सहायता [धारा 176 ख].- (1) अन्वेषण पुलिस अधिकारी निम्नलिखित सहित यथाशीघ्र यथा संभव दुर्घटना अन्वेषण की आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग करते हुए दावा अधिकरण की सहायता करेगा-

(क) स्पष्ट रूप से चित्रित करने के सम्बन्ध में सभी ऐसे कोणों से दुर्घटना स्थल के फोटो लेगा, तथा ऐसा करने के लिए अयोग्यता की दशा में, सड़क(सड़कों) या स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का अभिन्यास तथा चौड़ाई, इत्यादि के सम्बन्ध में स्थल योजना, माप तैयार करना, सम्मिलित वाहन(वाहनों) या व्यक्ति(व्यक्तियों) की स्थिति, तथा ऐसे अन्य तथ्य जो संबंधित हो सकते हैं, ताकि इस संबंध में साक्ष्य संरक्षित रखे जा सकें तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परीक्षण द्वारा स्थल जांच-पड़ताल करना;

(ख) पूर्ण विवरण तथा दस्तावेज एकत्रित करना, अर्थात् -

- (i) दुर्घटना की तिथि, समय तथा स्थान;
- (ii) दुर्घटना में मृतक या घायल व्यक्तियों के विवरण;
- (iii) उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक का नाम तथा पता;
- (iv) उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के ड्राइविंग लाईसैंस की प्रति;
- (v) उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामी का नाम तथा पता;
- (vi) उल्लंघन करने वाले वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;
- (vii) उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा पालिसी/बीमा पंजीकरण की प्रति;
- (viii) योग्यता प्रमाण पत्र तथा परिवहन वाहन की दशा में परमिट की प्रति;
- (ix) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, दुर्घटना स्थल की फोटो, स्थल नक्शा तथा सीजर मीमो;
- (x) दुर्घटना के साक्षियों के नाम व पते;
- (xi) दुर्घटना घटित होने की परिस्थितियां;
- (xii) मृत्यु की दशा में -
  - (i) मृतक की आयु के सबूत की प्रति;
  - (ii) मृत्यु प्रमाण पत्र;
  - (iii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट;
  - (iv) मृतक की आय का सबूत;
  - (v) आश्रित अर्थात् उनकी आयु, व्यवसाय तथा वैवाहिक स्थिति के सबूत सहित विवरण;
  - (vi) चिकित्सा बिल सहित इलाज पर उपगत खर्च
- (xiii) घायल की दशा में -
  - (i) मैडीकल लीगल सर्टीफिकेट (एम.एल.सी.);
  - (ii) घायल के आयु के सबूत की प्रति;
  - (iii) घायल की आय का सबूत;
  - (iv) चोट का स्वरूप;
  - (v) चिकित्सा बिल तथा डिस्चार्ज समरी सहित घायल द्वारा लिया गया इलाज;



(vi) निःशक्तता प्रमाण पत्र, यदि सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो;

(vii) इलाज, वहन, विशेष आहार, परिचर इत्यादि पर उपगत खर्च;

(viii) कार्य से अनुपस्थिति का सबूत (जहां घायल होने के कारण आय की हानि का दावा किया जा रहा है) जैसे नियोक्ता से प्रमाण-पत्र तथा उपस्थित रजिस्टर के उद्धरण या लोग रिकार्ड या इसी प्रकार के रिकार्ड;

(ग) उसको जारी करने के तात्पर्यित कार्यालय या प्राधिकारी व्यक्ति से लिखित में पुष्टीकरण प्राप्त करते हुए या यथा आवश्यक ऐसा और अन्वेषण या सत्यापन करते हुए खंड (ख) में वर्णित दस्तावेजों का सहीपन सत्यापित करना;

(घ) खण्ड (ख) में वर्णित दस्तावेजों को एकत्रित करना तथा सत्यापित करना, मामले का अन्वेषण पूर्ण करना और खण्ड (ख) में वर्णित अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करते हुए दुर्घटना के तीस दिन के भीतर, यदि सूचना हरियाणा राज्य के भीतर एकत्रित की जानी है, तो दावा अधिकरण के समक्ष केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दायर करना तथा खण्ड (ग) में वर्णित रिपोर्ट की पुष्टि करना। यदि सूचना हरियाणा राज्य के बाहर से एकत्रित और सत्यापित की जानी है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी दावाकर्ता को आवश्यक दस्तावेज, दावाकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सहित पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सूचना देने के लिए नोटिस देगा। यदि दावाकर्ता सूचना देने में असफल रहता है तब इस सम्बन्ध में सूचना अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दी जाएगी। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति बीमा कम्पनी के साथ-साथ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों/दावाकर्ताओं तथा उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामी/चालक को भी प्रस्तुत की जाएगी जहां अन्वेषण अधिकारी उसके नियंत्रण में न होने के कारण जैसा दुर्घटना करने और भाग जाने के मामले में तीस दिन के भीतर मामले का पूर्ण अन्वेषण करने में असमर्थ रहता है उन मामलों में जहां पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता से बाहर निवास करते हैं, जहां ड्राइविंग लाइसेंस, न्यायालय की अधिकारिता से बाहर का जारी किया गया है, या जहां दुर्घटनाग्रस्त को गम्भीर चोटें आई हैं तथा इलाज चल रहा है, तो वहां अन्वेषण पुलिस अधिकारी दावा अधिकरण को समय के विस्तार के लिए अनुरोध करेगा जिस पर दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों में उपयुक्त समय का विस्तार करेगा;

(ङ) व्यक्ति जो प्रतिकर के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तथा जो दुर्घटना में शामिल है, या उसका निकटतम रिश्तेदार, या मृतक का विधिक प्रतिनिधि, या बीमा कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्ररूप संख्या 48ख में आवेदन को प्राप्त करने पर तीस दिन के भीतर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में दुर्घटना के बारे में सूचना तथा ब्यौरे आवेदक को प्रस्तुत करना:

परन्तु ऐसी सूचना केवल दस रुपये प्रति पृष्ठ की फीस के भुगतान पर ही बीमा कम्पनी को दी जाएगी।

(2) उप नियम (1) में नाम लेकर बताए गए कर्तव्यों का वही अर्थ लगाया जाएगा मानो वे हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का 18), की धारा 47 में शामिल हैं तथा उसकी कोई उल्लंघना उस विधि में परिकल्पित परिणाम होंगे।

**203ख. रजिस्ट्री प्राधिकारी के कर्तव्य। [धारा 176 ख].—** सम्बद्ध रजिस्ट्री प्राधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, —

(क) प्ररूप संख्या 48 घ में आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर दुर्घटना में शामिल मोटर यान या उसके चालक के लाइसेंस के बारे में दावा अधिकरण को प्ररूप संख्या 48 ग में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ख) व्यक्ति जो प्रतिकर के लिए आवेदन करना चाहता है या जो उसके उपयोग के कारण दुर्घटना में शामिल है या उसका निकटतम रिश्तेदार, या मृतक का विधिक प्रतिनिधि या बीमा कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्ररूप संख्या 48 ङ में आवेदन प्राप्त होने पर प्ररूप संख्या 48 ग में अपेक्षित सूचना पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करना:

परन्तु सूचना केवल दस रुपए प्रति पृष्ठ के भुगतान पर बीमा कम्पनी को दी जाएगी।



**203ग— बीमा कम्पनी द्वारा सहायता [धारा 176 ख].—** बीमा कम्पनी का मण्डल प्रबन्धक यथा शीघ्र यथा सम्भव दावा अधिकरण की निम्नलिखित सहायता करेगा,—

- (क) विहित फीस सहित अन्वेषण पुलिस अधिकारी के सम्मुख प्ररूप संख्या 48 ख में आवेदन प्रस्तुत करना तथा इसके बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद, या नियम 206 के अधीन दावा अधिकरण से नोटिस की प्राप्ति पर शीघ्र दुर्घटना के बारे में सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करना;
- (ख) दुर्घटना में शामिल मोटर यान (यानों) के बीमे के बारे में तथ्यों का पता लगाना तथा सत्यापन करना तथा दावा मामले के नोटिस प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दावा अधिकरण से उसकी पुष्टि करना;
- (ग) प्ररूप संख्या 48 ड में सम्बद्ध रजिस्ट्री प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना तथा प्ररूप संख्या 48 ग में वर्णित व्यौरों के अनुसार शामिल मोटर यान (यानों) तथा उसके चालक (चालकों) द्वारा धारित चालक लाईसेंस (लाईसेंसों) के बारे में सूचना एकत्र करना;
- (घ) दावा अधिकरण में लिखित कथन, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में प्राप्त सूचना तथा प्ररूप संख्या 48 ग मृत्यु की पुष्टि या उस द्वारा जारी बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी में आने वाले मोटर यान के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुई स्थाई अशक्तता अधिनियम की धारा 140 के अधीन कोई चूक दायित्व नहीं है के सिद्धान्त पर प्रदान करने योग्य प्रतिकर के समकक्ष राशि के साथ जमा करना।

**203घ— रिपोर्ट के बारे में परिकल्पना [धारा 176].—** केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में तथा क्रमशः अन्वेषण पुलिस अधिकारी या सम्बद्ध रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 48 ग में दावा अधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्ट की विषय वस्तु तथा बीमा कम्पनी द्वारा नियम 203 ग के खण्ड (ख) के अधीन पुष्टिकरण सही के रूप में माने जाएंगे तथा प्रतिकूल सिद्ध होने तक औपचारिक सबूत के बिना साक्ष्य में पढ़े जाएंगे।

**203ज— अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट तथा उस पर कार्रवाई [धारा 176ख].—**

- (1) धारा 158 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में होगी।
- (2) उपनियम (1) में वर्णित रिपोर्ट, चालक लाईसेंस की सत्यापन रिपोर्ट, मोटर यान के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट इत्यादि से संलग्न रिपोर्ट की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण उसकी जांच करेगा तथा अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (4) के अनुसार उचित तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए जो आवश्यक समझें ऐसी अतिरिक्त सूचना या सामग्री के लिए मांग कर सकता है।
- (3) दावा अधिकरण रिपोर्ट की जांच, अतिरिक्त सूचना/सामग्री, यदि मांगी गई है, के बाद उस पर दावे का मामला दर्ज करेगा तथा, फिर सभी सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करेगा जिसमें प्ररूप संख्या 48 च में दुर्घटना के पीड़ित (पीड़ितों), या उसके विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों), जैसी भी स्थिति हो, चालक, स्वामी तथा शामिल वाहन (वाहनों) का बीमाकर्ता शामिल होगा।
- (4) नोटिस की प्राप्ति पर, पूर्ववर्ती उपबन्ध में वर्णित पक्षकारों को पेश होना तथा घोषणा करना अपेक्षित होगा यदि कोई दावा मामला किया गया था, या उसी वाद हेतु के सम्बन्ध में किया गया था, तथा यदि ऐसा है, तो दावा मामले के रूप में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए ऐसे दावा मामले से जोड़ दी जाएगी।
- (5) यदि घायल व्यक्ति (व्यक्तियों), या मृतक व्यक्ति (व्यक्तियों) के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) उपरोक्त दर्शाई गई रीति में पूर्ण वर्णित नोटिस के उत्तर में पेश नहीं होते हैं, तो दावा अधिकरण मान सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसी कार्यवाही में किसी प्रतिकर के लिए दावा करने में हितबद्ध नहीं थे तथा ऐसी प्रकल्पना पर दावा बन्द कर दिया जाएगा;



- (6) जब तक दावा मामले के रूप में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट स्वयं पक्षकारों द्वारा किए गए स्वतंत्र दावा मामले से नहीं जोड़ी जाती है, तो दावा अधिकरण घायल व्यक्ति (व्यक्तियों) या मृतक व्यक्ति (व्यक्तियों) के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों), जैसी भी स्थिति हो, को बुलाएगा, तथा जो उन द्वारा दावा किए गए प्रतिकर, यदि कोई हो, के बारे में तथ्यों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के उत्तर में पेश हो सकते हैं तथ्यों का विवरण प्ररूप संख्या 48 में आवेदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रणाली के साथ होगा।
- (7) यदि दावाकृत प्रतिकर के बारे में तथ्यों के विवरण तथा उसके आधार उपनियम (6) में दर्शाई गई रीति में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, तो मामला उसी रीति में आगे बढ़ाया जाएगा जो दावा अधिकरण के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकर के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के निपटान के लिए अपेक्षित है।
- (8) दावाकृत प्रतिकर के बारे में तथ्यों के विवरण पक्षकार द्वारा बाद में प्रस्तुत किए गए हैं, जो बाद में उपस्थिति में चूक करता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश के IX के उपबन्ध लागू होंगे:

परन्तु यदि प्रश्नगत दुर्घटना में एक से अधिक वाहन शामिल हैं तथा ऐसे सभी वाहनों से सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिकर के लिए साझा दावा करते हैं, तो दावा मामले के रूप में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट उनके प्रत्येक के द्वारा किया गया दावा मामला माना जाएगा तथा ऐसे पक्षकारों के एक या अधिक की अनुपस्थिति पर जो पेशी जारी रहेगी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या पक्षकार के दावे को प्रभावित नहीं करेगी।”

4. उक्त नियमों में, नियम 206 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“206— सम्मिलित पक्षकारों को नोटिस [धारा 169 तथा 176(ख)].— यदि दावे के लिए आवेदन नियम 205 के अधीन रद्द नहीं किया गया है, तो दावा अधिकरण व्यक्ति जिसके विरुद्ध आवेदक ने सहायता का दावा किया है (जिसे, इसमें, इसके बाद, प्रतिपक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को तिथि जिसको वह आवेदन की सुनवाई करेगा, प्ररूप संख्या 48 छ में नोटिस के साथ-साथ नियम 203 के अधीन आवेदक द्वारा दायर सभी दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रति भेजेगा, तथा आवेदन के उत्तर में नियम 207 के अनुसार लिखित कथन उस तिथि को दायर करने के लिए उसे बुला सकता है:

परन्तु यदि आवेदक द्वारा दायर दस्तावेज भारी भरकम हैं, तथा उसकी प्रतियां उपलब्ध करने का आग्रह अनावश्यक रूप से महंगा या बोझिल है, तो दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार को उसकी प्रतियां भेजने की अपेक्षा से अभिमुक्त कर सकता है।”

5. उक्त नियमों में, नियम 207 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“207— पक्षकारों की उपस्थिति तथा जांच। [धारा 169 तथा 176(ख)]—(1) प्रतिपक्ष प्रथम सुनवाई पर या से पूर्व, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो दावा अधिकरण अनुज्ञात करें, आवेदन में उठाए गए दावे के सम्बन्ध में लिखित कथन दायर करेगा, तथा कोई ऐसा लिखित कथन रिकार्ड का भाग रूप होगा।

(2) विरोधी पक्षकार अपने लिखित कथन, सभी तथ्यों के समर्थन में सभी दस्तावेज सहित दायर करेगा जिन पर वह दस्तावेजों को उचित रूप से तैयार सूची में सम्यक् रूप से दर्ज उसके बचाव के आवेदन के संदर्भ में भरोसा करता है तथा आवेदक को लिखित कथन दस्तावेजों की प्रतियां देगा परन्तु दावा अधिकरण तब तक लिखित कथन के साथ दायर न किए गए किसी दस्तावेज पर उसके बचाव के समर्थन में भरोसा करने के लिए प्रतिपक्ष को अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि उचित या पर्याप्त कारण से उसे पहले ऐसे दस्तावेज दायर करने से रोका गया था।

(3) यदि विरोधी पक्षकार दावा लड़ता है तथा यदि कोई लिखित ब्यान दायर नहीं किया गया है तो दावा अधिकरण दावे पर उसकी आगे जांच करेगा तथा लिखित में जांच के सारांश को कम करेगा।

(4) दावा अधिकरण प्रतिपक्षों से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा भी कर सकता है:

(क) सभी पूर्व दुर्घटनाओं के पूर्ण ब्यौरे जिसमें ऐसा पक्षकार शामिल हुआ है, तथा जिसमें दावे कम से कम भाग में प्रदान किए गए हैं;



(ख) ऐसी पूर्व दुर्घटनाओं में भुगतान की गई प्रतिकर की राशि, पीड़ितों तथा व्यक्तियों के नाम (नामों) तथा पता (पतों) जिसे क्षति का भुगतान किया गया है; तथा

(ग) विरोधी पक्षकार के साथ खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्तियों के रिश्तेदार, यदि कोई हो।”

6. उक्त नियमों में, नियम 208 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“208 गवाहों को सम्मन देना [धारा 169 तथा 176(ख)]-** यदि कोई आवेदन गवाहों को सम्मन देने के लिए कार्यवाही करने हेतु किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो दावा अधिकरण सम्मिलित खर्चों, यदि कोई हो, के भुगतान पर ऐसे गवाहों की उपस्थिति के लिए जब तक सम्मन जारी नहीं करेगा तब तक वह समझता है कि उनकी उपस्थिति मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं :

परन्तु यदि, दावा अधिकरण की राय में, पक्षकार वित्तीय रूप से गरीब है, तो वह सम्मिलित खर्चों के भुगतान पर बल नहीं देगा तथा उनका सरकार द्वारा वहन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि जहां पक्षकार सम्पूर्ण में या भाग में सफल होता है, तो सरकार द्वारा इस प्रकार उपगत खर्चें विरोधी पक्षकार द्वारा सरकार को भुगतान करने के लिए निर्देश देगा।”

7. उक्त नियमों में, नियम 210 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“210 स्थानीय निरीक्षण [धारा 169 तथा 176(ख)]-** (1) दावा अधिकरण इसके सम्मुख किसी कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान किसी समय पर स्थल जिस पर दुर्घटना घटित हुई है जांच के लिए सम्बन्धित सूचना देने हेतु योग्य बनाने के लिए सम्भावित किसी व्यक्ति का स्थानीय निरीक्षण या जांच करने के प्रयोजन के लिए दौरा कर सकता है।

(2) कार्यवाही के लिए कोई पक्षकार या किसी ऐसे पक्षकार का प्रतिनिधि स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा अधिकरण का साथ दे सकता है।

(3) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के बाद अवलोकित तथ्यों के ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से नोट करेगा तथा ऐसा ज्ञापन कार्यवाही के रिकार्ड का भाग रूप होगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट ज्ञापन कार्यवाही के लिए किसी पक्षकार को दिखाया जा सकता है जो उसे देखना चाहता है तथा उसकी प्रति आवेदन करने पर दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर पर किसी ऐसे पक्षकार को सप्लाई की जा सकती है।

(5) दावा अधिकरण, यदि पक्षकार के अनुरोध पर इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए कोई यात्रा करता है, तो पक्षकार से प्रयोजन के लिए उस तथा उसके अमले द्वारा उपगत किए जाने के लिए सम्भावित वास्तविक खर्चों के समक्ष राशि पहले से जमा कराने की अपेक्षा कर सकता है, तथा केवल ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में सभी आनुषंगिक खर्च को पूरा करने के लिए पक्षकारों द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि को निकाल सकता है।”

8. उक्त नियमों में, नियम 213 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“213क- अनुपूरक सूचना तथा दस्तावेजों को प्राप्त करना-** दावा अधिकरण कोई भी अनुपूरक सूचना तथा दस्तावेज प्राप्त करेगा, जो पुलिस, चिकित्सा, बीमा तथा अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक पाए जाएं तथा दावे पर निर्णय देने के लिए अग्रसर हो सकता है चाहे पक्षकारों को नियत तिथि को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था या नहीं।”

9. उक्त नियमों में, नियम 215 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“215क चिकित्सा जांच के निर्देश देने की शक्ति [धारा 169 तथा 176(ख)]-** दावा अधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, घायल की जांच करने के लिए सरकार या नगरपालिका अस्पताल के किसी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारियों के किसी बोर्ड को तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित की अशक्तता की डिग्री तथा सीमा, यदि कोई हो, सूचित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्ररूप संख्या 48 ज में निर्देश दे सकता है तथा ऐसे चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड का निर्देशन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य होगा।”



10. उक्त नियमों में, नियम 217 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“217 वादों का अवधारण [धारा 169 तथा 176(ख)].—**(1) वादों को लगाने के बाद दावा अधिकरण आवेदन तथा लिखित कथन में वर्णित दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के साथ प्रतिपरीक्षा अनुज्ञात करने के बाद उनका निर्णय करने के लिए कार्यवाही करेगा तथा ऐसा करने में वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XIX के उपबन्ध का पालन करेगा।

(2) दावा अधिकरण, यदि उसे मामले के शीघ्र निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को अनुज्ञात कर सकता है जैसा इनमें से प्रत्येक प्रस्तुत करना चाहता है :

परन्तु कोई भी ऐसा अतिरिक्त अवसर जब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रकट नहीं होता है कि ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका या कि ऐसा साक्ष्य उस पर भरोसा करने वाले पक्षकार की जानकारी में नहीं था।”

11. उक्त नियमों में, नियम 219 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“219 प्रतिकर का निर्णय तथा पंचाट [धारा 169 तथा 176(ख)].—**(1) पारित आदेश में दावा अधिकरण लगाए गए प्रत्येक वाद, तथा ऐसे निष्कर्षों के लिए कारण तथा बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए पंचाट करने तथा व्यक्ति भी जिसको प्रतिकर भुगतान किया जाएगा के निष्कर्ष निर्णय में संक्षेप में रिकार्ड करेगा।

(2) जहां प्रतिकर दो या अधिक व्यक्तियों को दिया गया है, तो दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक को भुगतानयोग्य राशि भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) प्रतिकर का दायित्व तथा पंचाट का निर्णय देने की प्रक्रिया को मृत्यु के मामले में विधिक वारिसों को प्रतिकर के वितरण की प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा, तथा जहां दावा अधिकरण महसूस करता है कि दावाकर्ता को वास्तविक भुगतान मृतक के विधिक वारिसों की पहचान तथा अवधारण के कारण कुछ समय लगने की सम्भावना है, तो दावा अधिकरण पंचाट प्रतिकर की राशि को उसके पास जमा करने की मांग कर सकता है, तथा, तब, न्यायसंगत रूप से प्रत्येक विधिक वारिसों को प्रतिकर के भुगतान के वितरण के लिए विधिक वारिसों की पहचान सहित कार्यवाही कर सकता है।

(4) दावा अधिकरण दावाकर्ता से दोहरी प्रति में रसीद प्राप्त करेगा, एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जानी है जो भुगतान करता है तथा दूसरी प्रति भुगतान के निपटान के समय रिकार्ड में रखी जानी है।”

12. उक्त नियमों में, नियम 219 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“219क दावाकर्ताओं के हित सुरक्षित करना [(धारा 176) (ख)].—**(1) जहां दावा अधिकरण के पास जमा एक मुश्त राशि विधिक अशक्तता के अधीन किसी व्यक्ति को भुगतानयोग्य है, तो ऐसी राशि इस अशक्तता के दौरान ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निवेश, प्रयुक्त या अन्यथा ऐसी रीति में निपटान की जा सकती है जैसा दावा अधिकरण घायल के किसी आश्रित या मृतक के वारिसों को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे दावा अधिकरण घायल या मृतक के वारिस के कल्याण के लिए मुहैया कराने हेतु उत्तम समझता है, भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है।

(2) जहां इस निमित्त या अन्यथा दावा अधिकरण को किए गए आवेदन पर, दावा अधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि माता-पिता के भाग पर बच्चों की उपेक्षा के कारण, या किसी आश्रित की परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई किसी राशि के वितरण के सम्बन्ध में दावा अधिकरण के किसी आदेश या रीति के सम्बन्ध में जिसमें ऐसे किसी आश्रित को भुगतान योग्य कोई राशि निवेश, प्रयुक्त या अन्यथा निपटान की जानी है, परिवर्तित की जानी है, तो दावा अधिकरण पूर्व आदेश के परिवर्तन के लिए ऐसे अतिरिक्त आदेश कर सकता है जो वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

(3) दावा अधिकरण, अवयस्क की दशा में आदेश करेगा कि ऐसे अवयस्क को दिए गए प्रतिकर की राशि ऐसे अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने तक सावधि जमा में निवेश की जाए। अभिभावक या निकटतम



दोस्त द्वारा उपगत व्यय इसके जमा करने से पूर्व ऐसे निक्षेपों से ऐसे अभिभावक या निकटतम दोस्त द्वारा वापस किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

(4) दावा अधिकरण, अनपढ़ दावाकर्ताओं के मामले में, आदेश करेगा कि दी गई प्रतिकर की राशि कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में निवेश की जाए, किन्तु यदि कोई राशि दावाकर्ता की आमदनी को सुधारने के लिए किसी चल या अचल सम्पत्ति की खरीद करने के लिए अपेक्षित है, तो दावा अधिकरण अपने आपको संतुष्ट करने के बाद ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है कि राशि प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से खर्च की जाएगी तथा मांग धन की वापसी के लिए धोखा नहीं है।

(5) दावा अधिकरण, अर्ध शिक्षित व्यक्ति के मामले में उप नियम (4) में निर्दिष्ट पंचाट राशि के निक्षेप के लिए प्रक्रिया का आश्रय जब तक नहीं लेगा तब तक वह अभिलिखित कारणों से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि राशि का सम्पूर्ण या भाग किसी विधमान कारबार के विस्तार के लिए या उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट तथा वर्णित कुछ सम्पत्ति की खरीद के लिए अपेक्षित है उस मामले में दावा अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि राशि प्रयोजन जिसके लिए प्रार्थना की गई है तथा भुगतान की गई है निवेश की गई है।

(6) दावा अधिकरण साक्षर व्यक्तियों के मामले में उपनियम (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट पंचाट राशि के निक्षेप के लिए प्रक्रिया के लिए आश्रय ले सकता है यदि आयु, वित्तीय भूमिका तथा समाज की स्थिति जिससे दावाकर्ता सम्बन्धित है तथा ऐसे अन्य प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, दावा अधिकरण दावाकर्ता के वृहत हित में तथा प्रदान किए प्रतिकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से आदेश के लिए आवश्यक समझें, कर सकता है।

(7) दावा अधिकरण, व्यक्तिगत क्षति के मामलों में, यदि आगामी उपचार आवश्यक है, संतुष्ट होने पर, जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसी राशि की वापसी की अनुमति दे सकता है जो ऐसे उपचार के खर्च के लिए आवश्यक हो।

(8) दावा अधिकरण, धन के निवेश के मामले में, दावाकर्ता की कालिक आमदनी के रूप में अधिकतम वापसी को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य या केन्द्रीय सरकार के लोक क्षेत्र उपक्रम जो ब्याज की उच्चतम दर देता है, में इसे जमा करवाएगा।

(9) दावा अधिकरण, धन का निवेश करने में, निदेश देगा कि जमा पर ब्याज दावा अधिकरण की सूचना के अधीन जमा रखने वाली संस्थाओं द्वारा दावाकर्ताओं या अवयस्क दावाकर्ताओं के अभिभावक को सीधे रूप से भुगतान करे।

13. उक्त नियमों में, नियम 221 तथा 222 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

“221 दावा अधिकरण के पंचाट के विरुद्ध अपील का रूप तथा रीति [धारा 173 तथा 176(ख)].—(1) दावा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील आवेदक या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक रूप से सशक्त अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी, तथा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी तथा निर्णय की प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) ज्ञापन संक्षेप में तथा सुस्पष्ट शीर्ष के अधीन बिना किसी बहस या वर्णन से अपील किए जाने वाले निर्णय के आक्षेपों के आधार बताए जाएंगे तथा ऐसे आधार को क्रमानुसार संख्याकित किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), की प्रथम अनुसूची में आदेश XLI तथा XXI के उपबन्ध अधिनियम की धारा 173 के अधीन उच्च न्यायालय में की गई अपीलों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

222 फीस [धारा 176(ख)].—(1) प्रतिकर के भुगतान के लिए धारा 166 के अधीन आवेदन पर कोई भी न्यायालय फीस स्टैम्प उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

(2) फाईलों के निरीक्षण के लिए प्रभारित की जाने वाली न्यायालय फीस की राशि प्रत्येक मामले के लिए प्रथम घण्टे के लिए बीस रुपये तथा प्रत्येक पश्चात्पूर्ति घण्टे के लिए दस रुपये होगी।



- (3) साक्ष्य की कार्यन प्रतियां सम्बद्ध पक्षकार को दी जाएगी, यदि प्रति पृष्ठ दो रुपए की न्यायालय फीस स्टैम्प के भुगतान पर मांगी जाए तथा ऐसी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पर दस रुपए की न्यायालय फीस स्टैम्प लगाई जाएगी।
- (4) प्रति पृष्ठ दो रुपये की राशि दावा अधिकरण के पास दायर किसी दस्तावेजों को अन्तिम आदेश या माध्यमिक आदेश के पंचाट की साक्ष्यांकित प्रति प्राप्त करने के लिए न्यायालय फीस स्टैम्प के रूप में प्रभारित की जाएगी”।
14. उक्त नियमों में, नियम 223 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“223-क रिकार्ड, रजिस्टर तथा सत्यापित प्रतियों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण (धारा 176).-

- (1) मामलों से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों तथा रिकार्ड पंचाट, यदि कोई दिया गया है, की संतुष्टि की छह वर्ष की अवधि के लिए या अन्तिम निर्णय तथा पंचाट के बाद बारह वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, रिकार्ड कक्ष में परिरक्षित रखा जाएगा।
- (2) दावा अधिकरण हरियाणा में किसी अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी रजिस्ट्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर भी रखेगा:-
- (i) कोई भी चूक दायित्व नहीं है के सिद्धान्त पर अन्तरिम पंचाट के लिए आवेदनों के हेतु रजिस्टर;
- (ii) चैकों इत्यादि के माध्यम से अधिकरण में भुगतानों के जमा करने के लिए रजिस्टर।
- (3) मृत्यु, स्थायी अशक्तता, चोट तथा सम्पत्ति की हानि के आधार पर दावा याचिकाएं पृथक रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी।
- (4) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए हरियाणा में यथा लागू सत्यापित प्रति को जारी करने से सम्बन्धित नियम दावा अधिकरण के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे”।

15. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 48 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्ररूप एच आर संख्या 48

(देखिए नियम 203)

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से प्रतिकर के लिए

आवेदन का प्ररूप

दावाकर्ता/दावाकर्ताओं के फोटो

सेवा में

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

श्रीमान् जी,

मैं, \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/ विधवा श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ मोटर यान दुर्घटना में घायल हुई/ हुआ हूँ/ हुई हूँ, इसके द्वारा, अविरत क्षति के लिए प्रतिकर देने हेतु आवेदन करता हूँ/करती हूँ। क्षति, वाहन इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

मैं/हम \_\_\_\_\_ पिता/माता/पुत्र (पुत्रों)/पुत्री (पुत्रियों)/विधवा श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_, इसके द्वारा, श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ द्वारा श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ को अविरत क्षति जो मोटर यान दुर्घटना में मर गया था/मर गई थी/घायल हो गया था/हो गई थी की मृत्यु के कारण प्रतिकर देने के लिए विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं। मृतक/घायल तथा वाहन इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-



1. घायल/मृतक व्यक्ति का नाम तथा पिता का नाम। (विवाहित स्त्री तथा विधवा के मामले में पति का नाम) \_\_\_\_\_
2. घायल/मृतक व्यक्ति का पूरा पता \_\_\_\_\_
3. घायल/मृतक व्यक्ति की आयु \_\_\_\_\_
4. घायल/मृतक व्यक्ति का व्यवसाय \_\_\_\_\_
5. मृतक के नियोजक का नाम तथा पता, यदि कोई है \_\_\_\_\_
6. घायल/मृतक व्यक्ति की मासिक आय \_\_\_\_\_
7. क्या व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया गया है आयकर का भुगतान कर रहा है ? यदि ऐसा है, तो आयकर की राशि बताएं (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित) \_\_\_\_\_
8. दुर्घटना का स्थान, तिथि तथा समय \_\_\_\_\_
9. पुलिस थाना का नाम तथा पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई है या पंजीकृत की गई थी \_\_\_\_\_
10. क्या व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर दावा किया गया है दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन द्वारा यात्रा कर रहा था ? यदि ऐसा है, तो यात्रा को प्रारम्भ करने तथा गन्तव्य का नाम तथा स्थान देना: \_\_\_\_\_
11. अविरत क्षतियों तथा अशक्तता का स्वरूप, यदि कोई हो \_\_\_\_\_
12. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम तथा पता जिसने घायल/मृतक की परिचर्या की है \_\_\_\_\_
13. उपचार की अवधि तथा उस पर उपगत खर्च, यदि कोई हो, (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित) \_\_\_\_\_
14. दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन की पंजीकरण संख्या तथा किस्म \_\_\_\_\_
15. मोटर वाहन के बीमाकर्ता का नाम तथा पता \_\_\_\_\_
16. मोटर वाहन के स्वामी का नाम तथा पता \_\_\_\_\_
17. क्या स्वामी/बीमाकर्ता के पास कोई दावा दायर किया गया है? यदि ऐसा है, तो उसका परिणाम \_\_\_\_\_
18. आवेदक का नाम तथा पता \_\_\_\_\_
19. मृतक/घायल के साथ संबंध \_\_\_\_\_
20. मृतक/घायल की सम्पत्ति का हक \_\_\_\_\_
21. दावाकृत प्रतिकर की राशि तथा उसके आधार \_\_\_\_\_
22. क्या पुलिस तथा पंजीकरण प्राधिकारियों से विहित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त की गई है ? (यदि ऐसा है, तो संलग्न की जाए) \_\_\_\_\_
23. क्या नियम 203 में वर्णित दस्तावेज सम्यक् रूप से सूचीबद्ध संलग्न किए जा रहे हैं (ब्यौरे दें) \_\_\_\_\_
24. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान में आवश्यक/सहायक हों \_\_\_\_\_
25. दावा आवेदन देरी से प्रस्तुत करने के कारण या आधार जिन पर दावाकृत के विलम्ब को माफ करना है \_\_\_\_\_
26. संक्षिप्त विवरण सहित दुर्घटना का कारण \_\_\_\_\_

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान



सत्यापन

यह \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन के तथ्य मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के लिए सच्ची और ठीक हैं।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

टिप्पण:— (1) आवेदक प्रतिवादियों को नोटिस सहित आवेदन दावा भेजने के लिए दावा आवेदन में उद्धृत प्रतिवादियों की संख्या के बराबर आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन दुर्घटना की घटना के छह मास के भीतर दायर किया जाना है तथा आवेदन देरी से प्रस्तुति के लिए कारण दिए जाएंगे।

(3) आवेदक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को पंजीकृत पावती के माध्यम से अपना दावा/आवेदन भेज सकते हैं।

17. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 48 के बाद, निम्नलिखित प्रारूप रखे जायेंगे, अर्थात्:—

“प्ररूप एच.आर. संख्या 48 क

(देखिए नियम 203 क)

अन्वेषण पुलिस अधिकारी के लिए आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण \_\_\_\_\_ हरियाणा के समक्ष

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

विषय : एफ०आई०आर० संख्या \_\_\_\_\_

सेवा में

स्टेशन हाऊस आफिसर,

पुलिस थाना \_\_\_\_\_

आदेश

चूंकि, प्रतिकर भुगतान मांगने के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका दुर्घटना जो उपरोक्त शीर्षक एफ०आई०आर० ब्यौरे के माध्यम से आप द्वारा अन्वेषण की विषय वस्तु के रूप में व्यक्त हैं, के सम्बन्ध में इस अधिकरण में की गई है;

और, चूंकि, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबन्धों के अधीन तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (6) तथा हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 के नियम 203-क के उपबन्धों के अधीन इस अधिकरण को—

(1) वाहन जिससे दुर्घटना हुई है, का पहचान चिह्न तथा अन्य ब्यौरे;

(2) व्यक्ति का नाम तथा पता जो दुर्घटना के समय पर उसको चला रहा था/उपयोग कर रहा था;

(3) व्यक्ति का नाम तथा पता जो घायल हुआ था, या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण;

(4) एफ०आई०आर० की प्रति;

(5) रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अर्थात् रिपोर्ट, शव परीक्षा रिपोर्ट, यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट, लिए गए फोटो, तैयार किया गया स्थल प्लान, चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पालिसी, सत्यापन, यदि कोई हो, इत्यादि सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट; तथा



6. जब्त किया गया कोई अन्य सम्बन्धित दस्तावेज के स्वरूप में दस्तावेज सम्बद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करवाने के लिए आपको विधिक आदेश दिया जाता है। इसलिए, अब, आपको, इसके द्वारा, इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर आपके व्यक्तिगत हस्ताक्षरों तथा अपनी कार्यालय मोहर के अधीन सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित सभी उपरोक्त दस्तावेजों की स्पष्ट सुपाठ्य छाया प्रतियों सहित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में सूचना इस अधिकरण को भेजने के लिए निर्देश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को दिया गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

प्ररूप एच०आर० संख्या 48ख

(देखिए नियम 203क, 203ख तथा 203ग)

अन्वेषण पुलिस अधिकारी के लिए आवेदन

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

विषय:-एफ०आई०आर० संख्या \_\_\_\_\_

सेवा में

स्टेशन हाऊस आफिसर,

पुलिस थाना \_\_\_\_\_

श्रीमान जी,

चूंकि, आवेदक दुर्घटना जो उपरोक्त शीर्षक एफ०आई०आर० ब्यौरों के माध्यम से आप द्वारा विषय वस्तु के रूप में व्यक्त है के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान मांगने के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका दावेदार/बीमा कम्पनी होने के कारण पक्षकार है;

और, चूंकि, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 तथा हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 के नियम 203-क के उपबन्धों के अधीन-

- (1) वाहन जिससे दुर्घटना हुई है, का पहचान चिह्न तथा अन्य ब्यौरे;
- (2) व्यक्ति का नाम तथा पता जो दुर्घटना के समय पर उसको चला रहा था/उपयोग कर रहा था;
- (3) व्यक्ति का नाम तथा पता जो घायल हुआ था, या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण;
- (4) एफ०आई०आर० की प्रति;
- (5) रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अर्थात् रिपोर्ट, शव परीक्षा रिपोर्ट, यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट, लिए गए फोटो, तैयार किया गया स्थल प्लान, चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा पालिसी, सत्यापन, यदि कोई हो, इत्यादि सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट; तथा
- (6) जब्त किया गया कोई अन्य सम्बन्धित दस्तावेज के स्वरूप में दस्तावेज सम्बद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करवाने के लिए आपको आदेश दिया जाता है।

इसलिए, निम्नहस्ताक्षरी अनुरोध करता है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप संख्या 54 में अपेक्षित सूचना इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उसको प्रस्तुत की जाए।

आपका शुभचिन्तक

( \_\_\_\_\_ )

दिनांक :

नाम तथा पता भरें।



प्ररूप एच०आर० संख्या 48 ग

(देखिए नियम 203ख, 203ग तथा 203घ)

## रजिस्ट्री प्राधिकारी की रिपोर्ट

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

सेवा में

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

श्रीमान जी

यह उपरोक्त वर्णित मामले में \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

के आदेश/आवेदन के संदर्भ में है। अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

1. वाहन के ब्यौरे : \_\_\_\_\_

(क) पंजीकरण संख्या : \_\_\_\_\_

(ख) वाहन की किस्म : \_\_\_\_\_

(ग) मेक तथा माडल : \_\_\_\_\_

(घ) ईजन संख्या : \_\_\_\_\_

(ङ.) चैसिस संख्या : \_\_\_\_\_

(च) वाहन के पंजीकृत स्वामी का पूरा नाम तथा पता : \_\_\_\_\_

2. चालक लाइसेंस के ब्यौरे :

(क) चालक लाइसेंस संख्या तथा जारी/समाप्ति की तिथि : \_\_\_\_\_

(ख) लाइसेंस धारक का नाम तथा पता : \_\_\_\_\_

(ग) जारी करने वाले प्राधिकारी के ब्यौरे : \_\_\_\_\_

(घ) लोक सेवा वाहन के मामले में बैज संख्या : \_\_\_\_\_

(ङ) विस्तृत रिपोर्ट यदि वर्णित ब्यौरे सही नहीं पाए जाते हैं : \_\_\_\_\_

3. रूट परमिट के ब्यौरे :

(क) परमिट संख्या तथा समाप्ति की तिथि : \_\_\_\_\_

(ख) परमिट धारक का नाम तथा पता : \_\_\_\_\_

(ग) परमिट की किस्म : \_\_\_\_\_

(रजिस्ट्री प्राधिकारी)

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट के विषय वस्तु इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

(रजिस्ट्री प्राधिकारी)



प्ररूप एच०आर० संख्या 48घ

(देखिए नियम 203ख)

## रजिस्ट्री प्राधिकारी के लिए आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण \_\_\_\_\_ हरियाणा के समक्ष

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

विषय:- (i) वाहन संख्या \_\_\_\_\_ के पंजीकरण प्रमाण पत्र का सत्यापन

\_\_\_\_\_ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी \_\_\_\_\_ तक वैध \_\_\_\_\_ के सम्बन्ध में चालक

लाइसेंस संख्या \_\_\_\_\_ का सत्यापन

सेवा में

रजिस्ट्री प्राधिकारी  
\_\_\_\_\_

## आदेश

चूंकि, प्रतिकर का भुगतान मांगने के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका कथित रूप से दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन, जिसके ब्यौरे उपरोक्त शीर्षक में हैं, के सम्बन्ध में इस अधिकरण में की गई है;

और, चूंकि, (1) बताया गया वाहन आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया गया है; (2) बताया गया उपरोक्त चालक लाइसेंस/परमिट आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया है;

और, चूंकि, कथित पंजीकरण/चालक लाइसेंस/परमिट से सम्बन्धित रिकार्ड केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन आपके नियंत्रणाधीन कथित अधिकारी द्वारा रखे जाने अपेक्षित है;

और, चूंकि, उपरोक्त दस्तावेजों से सम्बन्धित अपेक्षित ब्यौरे मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबन्धों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए इस अधिकरण द्वारा अपेक्षित है तथा जो सूचना आप हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 के नियम 203 ख के साथ पठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 149 के निबन्धनों के अनुसार प्रस्तुत के लिए बाध्य हैं।

इसलिए, अब, आपको इसके द्वारा इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से साक्ष्यांकित तथा कार्यालय मोहर सहित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों सहित उपरोक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र/चालक लाइसेंस/परमिट के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरे इस अधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन यह \_\_\_\_\_

दिन \_\_\_\_\_ को दिया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण



प्ररूप एच०आर० संख्या 48ड.

(देखिए नियम 203ख तथा 203ग)

### रजिस्ट्री प्राधिकारी को आवेदन

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

सेवा में,

रजिस्ट्री प्राधिकारी,

विषय:- (1) वाहन संख्या \_\_\_\_\_  
(2) परमिट संख्या \_\_\_\_\_  
(3) चालक लाइसेंस संख्या \_\_\_\_\_  
के सम्बन्ध में \_\_\_\_\_

चूंकि निम्नहस्ताक्षरी ने प्रतिकर का भुगतान मांगने के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका कथित रूप से दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन जिसके ब्यौरे उपरोक्त शीर्षक में हैं, के सम्बन्ध में की गई है, में पक्षकार हैं;

और, चूंकि, (1) कथित उपरोक्त वाहन आपके नियन्त्रणाधीन कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया गया है, (2) कथित उपरोक्त चालक लाइसेंस/परमिट आपके नियन्त्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया है (जो लागू न हो उसे काट दें);

और, चूंकि, कथित पंजीकरण/चालक लाइसेंस/परमिट से सम्बंधित रिकार्ड केन्द्रीयमोटर यान नियम, 1989 के अधीन आपके नियन्त्रणाधीन कथित अधिकारी द्वारा रखे जाने अपेक्षित हैं;

और, चूंकि, उपरोक्त दस्तावेजों से सम्बंधित अपेक्षित ब्यौरे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबन्धों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए इस अधिकरण द्वारा अपेक्षित हैं तथा जो सूचना आप हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 के नियम 203-ख के साथ पठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 149 के निबन्धनों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं।

इसलिए, अब, निम्नहस्ताक्षरी अनुरोध करता है कि आपके व्यक्तिगत हस्ताक्षरों तथा अपने कार्यालय मोहर के अधीन सम्यक् रूप से साक्षांकित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों सहित उपरोक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/चालक लाइसेंस/परमिट के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरे इस आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

(आवेदक)

(देने वाले का पूरा नाम, ब्यौरे तथा पता)



प्ररूप एच०आर० संख्या 48च

(देखिए नियम 203-ड)

## पक्षकारों की उपस्थिति के लिए नोटिस

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण \_\_\_\_\_ हरियाणा के समक्ष

मामला संख्या : \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

## नोटिस

आर० ई० में: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 (4) के अधीन दावा मामले के रूप में माना गया मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट।

एफ०आई०आर० संख्या \_\_\_\_\_ पुलिस स्टेशन \_\_\_\_\_

सेवा में,

(निवास स्थान का वर्णन तथा नाम)

चूंकि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन रिपोर्ट मोटर यान के प्रयोग में शामिल दुर्घटना के बारे में उपरोक्त दिए गए विवरणों के अनुसार उस द्वारा पंजीकृत एफ.आई.आर. के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस आफिसर से प्राप्त हुई है;

और चूंकि उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के उपबन्धों के अनुसार दावा मामले के रूप में इस दावा अधिकरण द्वारा मानी गई है, जिसमें (दिनांक) \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ प्रातः/सायं \_\_\_\_\_ सुनवाई के मामले में आगामी कार्यवाही के लिए निम्नहस्ताक्षरी के समक्ष पेश होने के लिए आपको बुलाना आवश्यक प्रतीत होता है।

इसलिए, अब, आपको इसके द्वारा उपरोक्त कथित तिथि तथा समय पर उपरोक्त कथित दावा मामले से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वैयक्तिक रूप में या सम्यक् रूप से निर्देशित तथा योग्य अधिवक्ता द्वारा दावा अधिकरण के सम्मुख उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है;

और, चूंकि, जैसा कि आपको उपस्थिति के लिए नियत तिथि मामले के दावे की सुनवाई के लिए नियत की जाती है, आपको दावा मामले के सम्पूर्ण ब्यौरे प्रकट करने के लिए उस तिथि को या से पूर्व मामला दायर करना अपेक्षित होगा जो आप द्वारा आपके विरुद्ध उसी प्रकार के वादमूल के सम्बंध में किया गया है या किया जा रहा है।

ध्यान में रखें कि उपरोक्त वर्णित तिथि तथा समय पर आपकी उपस्थिति की चूक में, दावा मामला सुना जाएगा तथा आपकी अनुपस्थिति में अवधारित किया जाएगा।

इस अधिकरण के मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ को दिया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण



प्ररूप एच०आर० संख्या 48छ

(देखिए नियम 206)

## विरोधी पक्षकारों को नोटिस

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण \_\_\_\_\_ हरियाणा के समक्ष

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

## नोटिस

सेवा में,

(नाम, निवास का वर्णन तथा स्थान)

चूंकि \_\_\_\_\_ ने प्रतिवादी \_\_\_\_\_ (दायर किए गए दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रतियां संलग्न हैं) के रूप में आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा मामला प्रारम्भ किया गया है, जो मामला (दिनांक) \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ प्रातः/सायं \_\_\_\_\_ सुनवाई के लिए इस अधिकरण के सम्मुख सूचीबद्ध किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

इसलिए, अब, आपको इसके द्वारा उपरोक्त कथित तिथि तथा समय पर उपरोक्त कथित दावा मामले से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वैयक्तिक रूप में या सम्यक् रूप से निर्देशित तथा योग्य अधिवक्ता द्वारा दावा अधिकरण के सम्मुख उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है;

और जैसा कि आपकी उपस्थिति के लिए नियत तिथि दावे की सुनवाई के लिए नियत की जाती है। आप सभी तथ्यों के समर्थन में सभी तथ्यों सहित आवेदन में उठाये गये दावे के निपटान के लिए लिखित कथन उस तिथि को या से पूर्व दायर कर सकते हैं जिन पर आप दस्तावेजों को उचित रूप से तैयार सूची में सम्यक् रूप से दर्ज आवेदन के आपके बचाव के संदर्भ में विश्वास करें, जहां इसके बाद हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 के नियम 207 में यथा उपबन्धित के सिवाए किसी अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए अनुमत नहीं किया जायेगा।

ध्यान में रखें कि उपरोक्त वर्णित तिथि पर आपकी उपस्थिति की चूक में, दावा मामला सुना जाएगा तथा आपकी अनुपस्थिति में अवधारित किया जाएगा।

इस अधिकरण के मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ को दिया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण



प्ररूप एच०आर० संख्या 48ज

(देखिए नियम 215-क)

चिकित्सा जांच के लिए निर्देश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण \_\_\_\_\_ हरियाणा के समक्ष

मामला संख्या \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

सेवा में,

दावा कर्ता/  
कर्ताओं की फोटो

आदेश

चूंकि प्रतिकर के भुगतान के मांग के लिए ऊपर वर्णित दावा याचिका इस अधिकरण में दुर्घटना में सम्मिलित मोटर वाहन के उपयोग के संबंध में की गई है तथा \_\_\_\_\_ दावा कर्ता पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_, उसके नमूने हस्ताक्षर अंगूठे के निशान सहित उसकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है। जो कथित घटना के परिणामस्वरूप घायल हो गई है या गया है जिसको \_\_\_\_\_ (अस्पताल का नाम) में \_\_\_\_\_ दिनांक को \_\_\_\_\_ मैडिको विधिक प्रमाण पत्र संख्या में अभिलिखित किया गया है;

तथा, चूंकि दावा याचिका की जांच के प्रयोजन के लिए, यह दावा अधिकरण उक्त दावा कर्ता द्वारा उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप घायल की डिग्री तथा अशक्तता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है।

इसलिए, अब, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 के नियमों के अनुसार इस दावा अधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न हस्ताक्षरी निर्देश देता है कि आप उक्त दावा कर्ता की अपने अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा जांच करवाएं तथा इस निर्देश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस अधिकरण को उपरोक्त पहलुओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण के मोहर के अधीन \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को दिया गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

हरदीप कुमार,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

परिवहन विभाग।